भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2682
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एसएजीवाई योजना

2682. श्री एम. मल्लेश बाबू:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जन प्रतिनिधियों को और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन , निगरानी और संस्थागत सहायता सुनिश्चित करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) को पुनः शुरू करने अथवा पुनर्गठित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय को जानकारी है कि कर्नाटक-आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित कोलार जिले के कई सीमावर्ती गांव प्रशासनिक उपेक्षा और समेकित योजना के अभाव के कारण अविकसित रह गए हैं; और

(ग) क्या सरकार पुनर्गठित एसएजीवाई योजना में प्राथमिकता वाले आदर्श ग्राम ढांचे के अंतर्गत पिछड़े सीमावर्ती गांवों को शामिल करने पर विचार करेगी , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) देश भर में माननीय सांसदों द्वारा एसएजीवाई के तहत ग्राम पंचायतों का चयन 31 मार्च, 2024 को पूरा हो चुका है।

(ख) और (ग) संसद सदस्य आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए अपने खुद के या अपने जीवनसाथी के गाँव के अलावा किसी उपयुक्त ग्राम पंचायत का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। माननीय संसद सदस्यों ने कर्नाटक के कोलार जिले में एसएजीवाई के तहत विकास हेतु तायलूर, रामसागर, अवनी, बनहल्ली, हुलाडेनहल्ली, इनोरा होसाहल्ली, क्यसंबली और मल्लनायकनहल्ली 8 ग्राम पंचायतों की पहचान की थी।

*****